REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) FOR SELECTION OF A EVENT MANAGEMENT COMPANY FOR

KNOW INDIA PROGRAMME (KIP)



GOVERNMENTOF INDIA MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS,

Request For Proposal (RFP) for Engaging Services of a Company for a period of 12 months for Organizing Familiarization Trips for Indian Origin Youth under Know India Programme (KIP) of the Ministry of External Affairs.

Tender No. OI-16016/02/20222-OIA-II dated 06.06.2022.

Sr. No.	Item	Date	Time
1.	Date of Announcement	06.06.2022	1700 Hrs
2.	Starting Date of Submission of bids	06.06.2022	1700 Hrs
3.	Date of Pre- Bid meeting for any clarifications / explanation	16.06.2022	1500 Hrs
4	Last date of submission of bids	27.06.2022	1700 Hrs
5	Date of opening of Technical Bid	29.06.2022	1430 Hrs
6	Date of opening of Financial Bid and the declaration of results subject to further scrutiny of documents	TBC	TBC

Time lines for the Request For Proposal

Estimated Bid Value: Rs. 3.00 crore. Bid validity - 06 months.

Note: (i) The above mentioned time-line are tentative. The Ministry reserves the right to modify the time lines on the grounds of administrative exigencies. If any changes made by the Ministry in the time-line, the same will be uploaded accordingly on CPP Portal.

(ii) If any contradiction or ambiguity is noticed in any clause of the Hindi and English version of this RFP, the English version of the RFP will prevail.

1. INTRODUCTION.

Ministry of External Affairs organizes **Know India Programme (KIP)** to introduce Indian origin youth (18 to 30 years of age) and familiarize them with different facets of India, its cultural heritage, history, economy and progress made by the country in various sectors. KIP provides a unique opportunity for students & young professionals of Indian origin to visit India and develop closer bonds with contemporary India. KIPs are conducted every year, in partnership and coordination with State Governments. Each KIP is of 21 days duration. The main elements of Know India Programme are understanding India's political system, economy, society, cultural heritage and development in various sectors etc; interaction with students at University/College; visit to places of historical importance; participation in cultural programmes; visit to industrial sites; visit to a village; interaction with non-profit organizations and meetings with senior officials in India.

2. **OBJECTIVE.**

The objective of this RFP is to select an appropriately qualified and adequately experienced Travel Company, to act as the Service Provider, who will enter into a Contract with the Overseas Affairs Division-II (OIA-II) Division of the Ministry of External Affairs to organize Know India Programmes (KIPs) to be held during Financial Year 2022-23.

3. SCOPE OF WORK.

The company would work under instructions and overall supervision of the Additional Secretary (OIA), Ministry of External Affairs, New Delhi. The Ministry plans to organize **six (6) Know India Programmes** during Financial Year 2022-23 with the maximum of 40 participants in each KIP. During the 21 days visit to India, participants will visit Delhi and Agra. They will also visit to one or two Partner State(s) for a 10 days trip to familiarize with that State(s). Among the various elements of visit, the Company/ Service Provider will undertake following tasks with respect to organizing KIPs:

- 3.1 Arrange hotel accommodation (twin sharing basis in a 4 Star or above category of hotel), local transportation (Volvo AC Coach), boarding and lodging for KIP participants during their stay in India; airport-hotel-airport transfer during arrival and departure from India.
- 3.2 Arrange visit of the participants to places of historic, cultural, industrial and tourist importance in India.
- 3.3 Facilitate meeting of participants with leadership of the Central/State(s) as directed by Ministry.
- 3.4 Organize visit to a village or countryside for one or two days.
- 3.5 Arrange interactive sessions in premier universities/organization in Delhi/Partner State(s).
- 3.6 Arrange cultural programmes showcasing India's cultural heritage.
- 3.7 Ensure security of KIP participants and provide medical care as per requirement. A panel of hospitals to be identified by the service provider to deal with urgent medical needs.
- 3.8 Bring any untoward incident during KIP with regard to safety, security and health of KIP participants immediately to the attention of Ministry of External Affairs.
- 3.9 Arrange concluding session for distribution of certificates of the programme.
- 3.10 Coordinate with State Government to facilitate and arrange all aspects of the visit to the State.

4. ELIGIBILITY CRITERIA.

4.1 The bidding company must be a registered travel company with domain expertise in making travel, hotel and local logistic arrangements.

- 4.2 Bidder should have appropriate licenses like PAN, TIN, TAN, VAT, GST/Service Tax Number etc. in their own name.
- 4.3 Bidder should be based in Delhi or have a branch office in Delhi.
- 4.4 Total turn-over of the bidder should be at least Rs. 01 Crore each in the last three years.
- 4.5 The bidder should not have incurred losses in the last three years.
- 4.6 The bidding company must have experience of at least 3 years in arranging travel, logistic support etc for foreign nationals visiting India for tourism or business.
- 4.7 The bidder shall not have been blacklisted by any of the Departments/ Ministries/ Organization of the Government of India.
- 4.8 The bidder shall not have any criminal proceeding pending/in progress in any court of Law/Forum.
- 4.9 The bidder shall not have been expelled/terminated on a project for default by any Organisation/Government Departments.
- 4.10 The bidding Company should demonstrate its capacity to handle more than six KIPs if required.
- 4.11 Sub-contracted or subletting job in the name of the bidder will not be permitted. The agency which has the work order shall only be considered for this purpose and would execute the contract directly. Also, bids submitted by separately incorporated vendors by way of formation of a Joint Venture (JV) or Consortium will not be considered.
- Note: Relaxation/Exemption to MSMEs/Startups/SHGs regarding turnover and experience will be granted as per extant government guidelines.

5. TECHNICAL AND FINANCIAL BID.

The term of Contract will be, as per provisions indicated in the succeeding paragraphs, on the basis of two-tier tender process consisting of Technical Bids and Financial Bids. Eligible Bidding Companies are invited to submit detailed Technical and Financial bids for organizing KIPs in accordance with RFP. The terms and conditions of the bidding documents are given below:

5.1 TECHNICAL BID DOCUMENTS.

- 5.1.1 Certificate of Incorporation.
- 5.1.2 Memorandum and Articles of Association.
- 5.1.3 Shareholders' Agreement in case of Limited Company.
- 5.1.4 Duly signed board resolution(s) authorizing the person signing the proposal to sign on behalf of the organization.
- 5.1.5 Company/organization registration certificate, valid Service Tax registration certificate and Permanent Account Number (PAN) issued by the Income Tax department. (Copy of each registration should be provided).
- 5.1.6 Attested copies of the company's annual reports of last three years.
- 5.1.7 Documents certifying the similar events organized and number of foreign nationals handled by the bidder in last three years.
- 5.1.8 Documents certifying the staff employed in the company.
- 5.1.9 Bidder should submit an undertaking that he has not been black listed by any Govt. Dept. / Agency in India and that the services being quoted have not been rejected similarly.

- 5.1.10 Documents regarding the experience of at least 3 years in arranging travel, logistic support etc for foreign nationals visiting India for tourism or business.
- 5.1.11 Balance Sheet and Profit and Loss accounts of his/her firm/ company, for the last 3 years, i.e., 2018-19, 2019-20 and 2020-21.
- 5.1.12 Copies of Income-tax returns of last 3 years, i.e. 2018-19, 2019-20 and 2020-21.
- 5.1.13 Organization Profile.
- Note: Ministry also reserves the rights to call for additional information from the bidders.

5.2 FINANCIAL BID DOCUMENT.

- 5.2.1 Bidders are advised to quote their rates against the required services in the Financial Bid document (BOQ file).
- 5.2.2 Arrangements like accommodation, food, transportation, guide etc in the Partner State(s) is the responsibility of the respective State Government. If the above arrangements are not provided by the Partner State then Event Manager has to make these arrangements on the quoted rates which will be payable by the Ministry to the Event Manager. The rate shall be applicable in all the State(s).
- 5.2.3 Protocol/LOs from State Government / Security Escort where required to be provided by the State Government.
- 5.2.4 Travel expenditure by Air / by train / by road from Delhi to partner State(s) and back to Delhi for 40 Participants would be paid as per actuals. For the purpose of air-tickets, if required, must be done through government approved agencies only, viz. M/s Balmer & Lawrie, M/s Ashoka Tours & Travels and M/s IRCTC as per extent government regulations in this regard.
- 5.2.5 Contingency charges includes Photo Badges for participants, entry tickets for monuments, E-bus service at Taj Mahal, Taxi charges

for transportation of ailing participants to hospitals/Lunch for ailing participants and any other emergent expenditure etc. would be paid on actual.

- 5.2.6 Programme provider fee mentioned in the financial bid document (BOQ file) will be proportionately reduced if number of participant is less than 40 in each KIP group.
- 5.2.7 Payment for additional services beyond to prescribed in this RFP will be paid as per mutual consent of the parties.

6. EARNEST MONEY DEPOSIT/BID SECURITY.

Bidders are required to submit bid Security of Rs 8,00,000 (Earnest Money Deposit) without which 'Financial Bid' will not be opened. The bid security shall be submitted in the form of Accounts Payee Demand Draft in favour of Pay and Accounts Officer (PAO), Ministry of External Affairs, payable at New Delhi. The bid security will also be accepted in the form of Insurance Surety Bonds, Account Payee Demand Draft, Fixed Deposit Receipt, Irrevocable Bank Guarantee from any of the nationalized banks in an acceptable form in favour of PAO, Ministry of External Affairs. Bid security of the unsuccessful bidders would be returned within **30 days of** finalization of Technical Evaluation Report. Relaxation/Exemption to MSMEs/Startups/SHGs against submission of EMDs will be granted as per extant government guidelines.

7. SUBMISSION OF BIDS.

- 7.1 The offers/bids may be submitted online on Central Public Procurement (CPP) Portal at https://eprocure.gov.in/eprocure/app. Only online bids are accepted.
- 7.2 Any wrong/false information given in this regard may lead to cancellation of the claim/eligibility of the prospective Event Manager.
- 7.3 The last date of submission of bids is 27.06.2022.

8. PRE-BID MEETING.

A pre-bid meeting will be held on **16.06.2022 at 1500 Hrs** to clarify issues if any related to tender documents for all prospective bidders at Conference Room, 9th Floor, Akbar Bhawan, Chanakyapuri, New Delhi. The Ministry reserves the right to modify the time lines on grounds of administrative exigencies which will be informed on CPP Portal.

9. OPENING OF BID.

The bids shall be opened at Ministry premises in the presence of the members of Tender / Selection Committee will be constituted in this regard and bidders or their authorized representatives who choose to attend the opening of bids. Authorized representative with authority letter on the letter head of bidding company duly signed by the bidder only will be allowed to attend. The technical and financial bid would be opened on **29.06.2022 at 1430 Hrs** and **04.07.2022 at 1430 Hrs & subsequent date** in conference hall, 9th Floor, Akbar Bhawan, Chanakyapuri, New Delhi-110021. In case the above dates of opening of tender is declared a holiday for unexpected reasons, the tender shall be opened same time on the next working day.

10. EVALUATION OF BIDS & AWARDING OF CONTRACT.

10.1 EVALUATION OF TECHNICAL BID.

A duly constituted Tender Evaluation committee will evaluate the bids. The Technical Bids will, in the first instance, be examined to ascertain fulfillment of eligibility criteria and submission of required documents. Evaluation will be based on documentary evidence submitted by the bidders with respect to pre-qualification /evaluation/selection criteria.

Each responsive proposal will be evaluated out of maximum of 100 marks as per following criteria:

Profile of the Agency (Maximum Marks 100):

Sr. No.	Description of each evaluation criteria	Marks
(i)	Past Experience in work of similar nature;	30
	Bidder with experience of above 10 years - 30 Marks	
	Bidder with experience of 6 to 10 years – 25 Marks	
	Bidder with experience of 3 to 5 years – 22.5 Marks	
(ii)	Turn-over;	30
	Bidder with turnover above of Rs. 5 crore -30 Marks	:
	Bidder with turnover from Rs. 3 to 5 crore – 25 Marks	
	Bidder with turnover equal to Rs. 50 lakh crore or above but less than Rs. 3 crore – 22.5 Marks	
(iii)	Number of staff employed on the payroll of the company;	20
	15 Marks for 10 to 15 employees	
	18 Marks for 16 to 20 employees	
	20 Marks for above 20 employees	
iv)	Number of events of value not less than Rs. 50 lakh conducted in last 3 years;	20
	i) For 3 to 5 events of value not less than Rs. 40 lakh conducted in last 3 years: (15 marks)	
	ii) For 6 to 8 events of value not less than Rs. 40 lakh conducted in last 3 years: (18 marks)	
	iii) For 9 or more events of value not less than Rs. 40 lakh conducted in last 3 years: (20 marks)	

A minimum score of 75 points would be required to qualify for the opening of Financial Bid.

A Proposal shall be rejected at this stage if it does not respond to important aspects of the RFP.

10.2 EVALUATION OF FINANCIAL BIDS.

FINANCIAL BIDS OF ONLY THOSE BIDDERS WHO MEET THE TECHNICAL CRITERIA WOULD BE OPENED. The Financial Bids of the technically qualified bidders will be evaluated and the bidder who will quote the total lowest quote will be awarded the contract.

10.3 The contract shall be awarded on the basis of the lowest rate quote. L1 will be decided on the basis of sum total of all items in BOQ.

10.4 If a firm quotes NIL charges/consideration, the bid shall be treated as unresponsive and will not be considered.

10.5 If two or more bidders have offered the same rate, the bidder scoring higher marks at technical stage shall be awarded the contract.

10.6 During the period, no request for increase in quoted rates shall be accepted under any circumstances.

11. CONTRACT PERIOD.

- 11.1 The successful bidder will enter into an agreement with Overseas Indian Affairs-II Division, Ministry of External affairs (draft agreement is attached as *Annexure-I*). The period of contract will be **valid for 12 months** from the date of award of contract and this may be extended up to further 12 months on same rate, terms and conditions and with mutual consent of both the parties.
- 11.2 In case services of the Company/Event Manager is found unsatisfactory on account of laxity in KIP management and feedback received from KIP participants their services may be

terminated immediately without any advance notice. MEA reserves the right ofmaking appraisal of the services of the Event Manager.

11.3 The Ministry has the right to terminate the contract if during the review process, it is found by Ministry that the services rendered by Service Provider/Event Manager did not meet the standards of quality and efficiency of the services expected of the Service Provider/Event Manager as per the RFP.

12. PERFORMANCE SECURITY.

Performance security is also required to be submitted by the successful bidder awarded with the contract irrespective of its registration status etc. Performance Security will be about 3% of the contract value. Performance security may be furnished in the form of an Account Payee Demand Draft, Fixed Deposit Receipt from a nationalized bank, Bank Guarantee from a nationalized bank in an acceptable form in favour of Pay and Accounts Officer, Ministry of External Affairs, Akbar Bhawan, New Delhi. Performance security should remain valid for a period of 60 days, beyond the date of completion of all contractual obligations of the successful bidder including warranty obligations.

13. MODE OF PAYMENT.

- 13.1 Payment against bill/Invoice shall be released only after execution of the order and the quality of the services are found to the satisfaction of MEA.
- 13.2 Payment will be made direct to the supplier through NEFT/RTGS or through A/c payee cheque. No request for other mode of payment will be entertained. payment will be made to the Bidder on a pro rata basis, wherever applicable.
- 13.3 No advance payment will be made in any case.

12. PENALTY CLAUSE AND FORCE MAJEURE.

12.1 Refusal or inability or delay or any false statement by the successful bidder to supply all deliverables as per scope of work at

the contracted rate may result in termination of the contract and forfeiting of EMD/PS/revoking of Bank Guarantee as well as disqualification of the bidder from participating in future tenders. The penalty for non-completion of work/unsatisfactory works will not exceed 10% of the contract value of such works and the total value of the penalty imposed will not exceed 20% of the Contract Value in addition to forfeiture of Performance Security.

- 12.2 Ministry may consider relaxing the penalty and delivery requirements, as specified in this tender Document, if and to the extent the delay in performance or failure to perform its obligations under the contract is the result of a Force Majeure.
- 12.3 Force Majeure is defined as an event of effect that cannot reasonably be anticipated such as natural disasters, act of states, the direct and indirect consequences of wars (declared or undeclared), hostilities, national emergencies, civil commotion and strikes at successful bidders' premise, etc.

13. CORRUPT OR FRAUDULENT PRACTICES.

- 13.1 It is expected that the bidders who wish to bid for this tender have highest standards of ethics.
- 13.2 Ministry shall reject bid if it determines that the bidder recommended for award has engaged in corrupt or fraudulent practices while competing for this contract.
- 13.3 Ministry may declare a bidder ineligible, either indefinitely or for a stated duration, if it at any time determines that the bidder has engaged in corrupt and fraudulent practices during the execution of contract.

14. SETTLEMENT OF DISPUTES AND ARBITRATION.

14.1 All disputes, differences and questions arising out of or in any way touching or concerning this Request for Proposal (RFP) or subject matter thereof or the representative rights, duties or liability of the parties shall first be resolved through consultation. If the issues raised remain unresolved even after 30 days, either party may refer the matter to arbitration.

- 14.2 The arbitration shall be in accordance with the Arbitration and Conciliation Act, 1996. The arbitrator shall be entitled to extend the time of arbitration proceedings with the consent of the parties.
- 14.3 No part of the Request for Proposal (RFP) shall be suspended on the ground of pending arbitration proceedings.
- 14.4 The decision of the arbitrator shall be final and binding on the parties.

15. GOVERNING LAWS.

This shall be construed and governed by the Laws of the India and the parties hereby submit to the exclusive jurisdiction of the Delhi Courts of Law for any interim reliefs.

16. GENERAL TERMS AND CONDITIONS.

- 16.1 Mere submission of bid, shall not confer any right whatsoever on the submitting entity.
- 16.2 The RFP shall remain valid for a period of 6 months from the date of publication of RFP.
- 16.3 It shall be obligatory on part of the submitting entity to furnish any further information as may be sought by Ministry.

16.4 Incomplete proposals are liable to be rejected.

16.5 The Ministry, may in its discretion extend the last date for submission of the bids and such extension shall be binding on all the Bidders. Addendum/Corrigendum, if any in this regard, will be published on the Ministry of External Affairs' website and Central Public Procurement (CPP) Portal.

- 16.6 The Ministry reserves the rights to reject any bid without assigning any reasons. The decision of the Competent Authority in this regard shall be final and binding on the parties concerned.
- 16.7 The Service Provider should be directly involved in providing services in organizing KIPs and should not outsource this responsibility to another company or partner on a royalty or commission basis or any other such arrangement. If such an arrangement is noticed, the Ministry has the right to terminate the Contract, en-cash the bank guarantee for premature termination of contract and impose a future ban against taking part in the tender process.
- 16.8 The company should have financial capacity to organize this programme and making advance booking of hotels, foods, air tickets, rail tickets and transportation cost etc for the participants.
- 16.9 No additional payment to Escorts for travel (within Delhi, Delhi to Partner State and in Partner State), food, accommodation and others would be paid.
- 16.10 If local hospitality being provided by the hosting State the services required from the EMC, would be proportionately reduced.
- 16.11 The number of events and participants are not binding upon the Ministry and there is no guarantee of minimum order to be placed on the bidder during one year duration from date of award of contract.
- 16.12 Bids should only be submitted online through e-procurement model (CPPP).

(Manika Jain) Additional Secretary (OIA) Email: as.oia@mea.gov.in Telephone: 011-24676210

DRAFT AGREEMENT

Between

THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

And

PARTNER

This Agreement is made on this day of...... 2022 between the Ministry of External Affairs and <u>PARTNER</u> for conducting of Know India Programmes (KIPs) of the Ministry during the Financial Year 2022-23.

The President of India acting through Ms. Manika Jain, Additional Secretary (OIA-II), Ministry of External Affairs, Government of India having office at Akbar Bhawan, New Delhi 110021 (hereinafter referred to as **MEA**), which expression shall unless repugnant to the context, include its successor in office and assigns) of the First Part

And

<u>PARTNER</u>, a destination management company having its office at ______ India (hereinafter referred to as _____), which expression shall unless repugnant to the context, include its successors, administrators and permitted assigns of the Other Part, hereinafter collectively referred to as Parties.

WHEREAS MEA has decided that **Know India Programme** (herein referred to as **(KIP**) be undertaken through an Event Manager.

AND WHEREAS <u>PARTNER</u>, a premier Industry organization with ______ offices overseas, more than ______ institutional partners all over the world and ______ offices all over India has represented to have the necessary infrastructure and capacity to organize and run the KIP in a professional manner; AND WHEREAS the Parties are desirous to reduce into writing their respective roles, duties and liabilities in this regard;

The Parties Hereby Agree as under:

- 1. **OBJECTIVES OF KIP.** The objectives of KIP shall be:
 - (i) To introduce youth of Indian origin to the culture, heritage, history, economy and development of India
 - (ii) <u>PARTNER</u> shall exercise due diligence in ensuring that expenditure is incurred is as per the Tender Bid for Know India Programmes.

1. TERMS AND CONDITIONS.

- 1.1 <u>PARTNER</u>shall act as an event manager of MEA and as host institution with effect from date of signing of Agreement with full power, authority and responsibility to set up the working of KIP. <u>PARTNER</u> is hereby fully authorized to do and perform all such lawful acts and deeds subject to this Agreement, as deemed necessary and expedient for the purpose of internationalizing KIP to meet the defined objectives.
- 1.2 <u>PARTNER</u> shall ensure that the operational cost to be shared by MEA does not exceed the approved budget. (as per quotation submitted).
- 1.3 <u>PARTNER</u> shall brief MEA on the preparatory arrangements for setting up the KIP on a regular basis.
- 1.4 <u>PARTNER</u> shall be responsible for coordinating the entire operation of the KIPand will be the single point of contact for MEA.
- 1.5 <u>PARTNER</u> in association with MEA shall be responsible for giving adequate publicity to the KIP through Overseas Offices ans also

through various channels like social media etc as and when required.

1.6 The scope of the Agreement may be enlarged or reduced by mutual consent of the Parties in writing.

2. VALIDITY OF AGREEMENT.

The Agreement shall be effective from the date of its signature and valid till _____ and may be renewed thereafter at the sole discretion of the MEA.

3. **RESPONSIBILITIES OF MEA.**

- 3.1 MEA will assist by way of writing necessary letters to the concerned authorities for getting government clearances, if required.
- 3.2 Payment of the bills by the MEA as per quote submitted will be within a reasonable time.
- 3.3 The schedule of KIP during 2022-23 (List of KIP participants and their schedule of arrival and departure) will be provided by MEA to <u>PARTNER</u>.

4. **RESPONSIBILITIES OF PARTNER.**

- 4.1. Overall coordination and to undertake KIP in the agreed manner as per the terms of tender/ document.
- 4.2. Ensure that the KIP shall be operated smoothly and successfully.
- 4.3. Be the coordinating link between MEA on one hand and the State Governments on the other.
- 4.4. Ensure smooth travel, stay and other logistic arrangements of KIP in New Delhi and partner states if not provided by the state governments.

- 4.5. Submit the bills to the MEA as per the quote within a reasonable time/stipulated time.
- 4.6. <u>PARTNER</u> will follow other terms and conditions described in the RFP (Request for proposal document).
- 4.7. <u>PARTNER</u> will prohibit assignment of the responsibilities under the Agreement to any third party without the express consent of the MEA.
- 4.8 <u>PARTNER</u>, while observing economy in cost, shall ensure that quality of work is not compromised.

5. CODE OF CONDUCT.

- 5.1 <u>PARTNER</u> is engaged as Event Manager for operating KIP. The KIP is an initiative of the Government of India and is being established solely by MEA. <u>PARTNER</u> shall undertake to:
 - (i) Use its best efforts to promote a positive image of KIP.
 - (ii) Refrain from engaging in any promotional activities that could be interpreted as improper and /or cause embarrassment to the Government, or related agencies.
- 5.2 In all its dealings on KIP, the <u>PARTNER</u> shall follow the arm's length principle.

6. FINANCIAL IMPLICATIONS.

6.1 The Ministry will pay <u>PARTNER</u> the agreed sum for its role in KIP as per quote submitted in response to the Tender (on pro-rata basis). This will be in terms of fixed fee for any branch of <u>PARTNER</u> providing the service on an actual basis rather than having a cascading effect. (As per Tender).

- 6.2 The arrangement will be in the mode of that with an Event Manager and there shall be the spirit of cooperation rather than a profit making exercise.
- 7. BILLING AND PAYMENT.

7.1 MEA shall make the payment to <u>PARTNER</u> as per the quote submitted (on pro rata-basis). However, the payment shall be made after the examination of the bills submitted by <u>PARTNER</u> along with the statement of expenditure.

- 7.2 The accounts of the expenditure on the KIP shall be maintained in the manner prescribed by MEA in a transparent manner.
- 7.3 <u>PARTNER</u> shall be solely responsible for making all payments including stay of participants, their internal transport including air fare etc. of all the hiring charges for running the KIP. MEA shall not be responsible for any act or omission and commission of <u>PARTNER</u> in this regard.
- 7.4 The Management/Programme provider fees plus applicable taxes indicated in the financial bid would proportionately be reduced if number of participants is less than 40 in each KIP.

8. TERMINATION OF CONTRACT.

- 8.1 In case of failure in the performance of duties or premature termination or breach of contract on the part of <u>PARTNER</u>, <u>PARTNER</u> shall be liable for every loss or consequential damage and without prejudice to other modes of recovery, the same shall be recoverable from <u>Party</u> through the procedure established by Law.
- 8.2. MEA or <u>PARTNER</u> may terminate this Agreement at any time giving 30 days prior notice in writing. However all ongoing projects shall be completed even after the termination of the Agreement and <u>PARTNER</u> will be paid by MEA as per terms in Tender document.

9. **REPRESENTATION & WARRANTIES.**

This Agreement is being executed hereto on the basis of each of the Parties representation that:-

(i) The persons executing this Agreement on its behalf have express authority to do so, and, in so doing, bind the Party thereto;

(ii) Performance of this Agreement does not violate any provision of law, charter, regulation, or any other governing authority of the Party; and

(iii) Performance of this Agreement has been duly authorized by all necessary corporate action and this Agreement is a valid and binding obligation of Parties, enforceable in accordance with its terms.

10. PERFORMANCE SECURITY.

- 10.1 A performance security is required to be submitted by the successful bidder awarded with the contract irrespective of its registration status etc. Performance Security will be Rs _____ (about 3% of the contract value). Performance security may be furnished in the form of an Account Payee Demand Draft, Fixed Deposit Receipt from a nationalized bank, Bank Guarantee from a nationalized bank in an acceptable form in favour of Pay and Accounts Officer, Ministry of External Affairs, Akbar Bhawan, New Delhi. Performance security should remain valid for a period of 60 days, beyond the date of completion of all contractual obligations of the successful bidder including warranty obligations.
- 10.2 In case services of the Event Manager is found unsatisfactory on account of laxity in KIP management and feedback received from KIP participants their services may be terminated immediately without any advance notice. MEA reserves the right of making appraisal of the services of the Event Manager.

10.3 The Ministry has the right to terminate the contract if during the review process, it is found by Ministry that the services rendered by Service Provider/Event Manager did not meet the standards of quality and efficiency of the services expected of the Service Provider/Event Manager as per the RFP.

11. NOTICES.

All notices to be given in writing by either Party shall be delivered by hand or sent by registered post to the respective other Party's address mentioned hereunder :-

Section Officer (Overseas Indian Affairs-II)

Room No. 1025

Ministry of External Affairs

Akbar Bhawan,

New Delhi-110021

Mr. _____

Designation

PARTNER

Or to such other address as either Party shall at any time or from time to time furnish in writing to the other party, for the purpose of notice hereunder.

12. SEVERABILITY.

Each of the provisions in this Agreement is severable and distinct from the others and if at any time one or more such provisions become invalid, illegal or unenforceable, the validity, legality and enforceability of the remaining provisions of this Contract shall not in any way be affected or impaired thereby.

13. PENALTY.

- 13.1 Refusal or inability or delay or any false statement by the successful bidder to supply all deliverables as per scope of work at the contracted rate may result in termination of the contract and forfeiting of EMD/PS/revoking of Bank Guarantee as well as disqualification of the bidder from participating in future tenders. For any kind of delay in adhering to the time schedule or substandard work, the amount of penalty would be decided by OIA-II Division of the MEA at its own satisfaction.
- 13.2 MEA may consider relaxing the penalty and delivery requirements, as specified in this tender Document, if and to the extent the delay in performance or failure to perform its obligations under the contract is the result of a Force Majeure.

14. FORCE MAJEURE.

14.1 War, invasion, revolution, riots, lockouts, strikes, work shut down imposed by Government Acts or legislature or other authorities, Acts of God, which has affect for more than 5 day and which shall directly or indirectly prevent completion of the project within time specified in the Agreement, shall be considered Force Majeure. <u>PARTNER</u> shall be granted necessary extension to cover the delay caused by Force Majeure without any financial repercussions or the MEA may issue revised guidelines or instructions.

15. NO PARTNERSHIP.

The word Event Management has been used in this agreement in its generic sense for a common purpose and not in its literal or legal sense. Nothing in this Agreement shall be construed to constitute a partnership or agency between the Parties and the <u>PARTNER</u> shall not make any assurance, promise or covenant nor shall hold itself out as competent to do so on behalf of the MEA nor shall pledge the credit of the MEA for any transaction in relation to this Agreement.

16. NO EMPLOYMENT.

Nothing in this Agreement shall constitute an offer or assurance of employment of any nature whatsoever to the <u>PARTNER</u> or any person employed by or under it for this Agreement.

17. WAIVER.

Neither the failure of either Party to insist on any occasion upon the performance of the provisions of this Agreement nor time or other indulgence granted by a Party to the other Party shall be treated or deemed as waiver of such breach or acceptance of any variation or the relinquishment of any such right thereunder. Waiver by either Party of any default by the other Party in the observance or performance of any provision of this Agreement shall not operate or be construed as a waiver of any other or subsequent default or of other provisions of or obligations under this Agreement nor shall affect the validity or enforceability of this Agreement in any manner.

18. NO THIRD PARTY BENEFICIARY.

The Agreement is for the benefit of the parties and no third party is beneficiary of the Agreement.

19. ARBITRATION.

If difference arises concerning this Agreement, any its interpretation on the payment to be made thereunder, the same shall be settled by mutual consultations and negotiations. If attempts for conciliation do not yield any results within a period of 30 days, either party may submit the dispute to arbitration by an arbitral tribunal consisting of a Sole Arbitrator. The legal seat of the arbitration shall be New Delhi and the arbitration proceedings shall also take place at New Delhi and shall be conducted in the English language. The provisions of Arbitration and Conciliation Act, 1996 (or any statutory modification thereof) and the rules framed thereunder and in force shall be applicable to such proceedings. Notwithstanding the pendency of any dispute, the MEA may require the PARTNER to continue to perform its obligations under the Agreement as Event Manger.

20. AMENDMENTS.

- 20.1 Any amendments, during the tenure of the Contract, shall be effected after mutual discussion and shall be in writing.
- 20.2 In case of any disputes, the courts in Delhi shall have jurisdiction.
- 20.3 IN WITNESS WHEREOF the duly authorized representatives of the Parties have set their hands and seals on the day and year first above written.

21. INDEMNIFICATION.

In case of loss caused to the MEA by act or omission of the event manager.

Ms. Manika Jain Additional Secretary (Overseas Indian Affairs)

Ministry of External Affairs

Akbar Bhawan,

New Delhi-110021

For and on behalf of the President of India

(11)

In presence of	(I)	

President & CEO

PARTNER

Mr.

For and on behalf of PARTNER

In presence of (I)

(II)

WITNESS

WITNESS

WITNESS

WITNESS

<u>भारत को जानो कार्यक्रम (केआईपी) के लिए कार्यक्रम प्रबंधन कंपनी के चयन प्रस्ताव के</u> लिए अनुरोध (आरएफपी)



<u>भारत सरकार</u> विदेश मंत्रालय विदेश मंत्रालय के भारत को जानो कार्यक्रम (केआईपी) के अंतर्गत भारतीय मूल के युवाओं के लिए परिचय यात्राओं के आयोजन हेतु 12 माह की अवधि के लिए किसी कंपनी की सेवाओं के लिए प्रस्ताव का अनुरोध (आरएफपी)

निविदा संख्या ओआई-16016/02/2022-ओआईए-11 दिनांक06.06.2022

क्र.सं.	मद	दिनांक	समय
1.	घोषणा की तिथि	06.06.2022	1700 बजे
2.	बोलियां प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तिथि	06.06.2022	1700 बजे
3.	किसी भी स्पष्टीकरण/निरुपण के लिए बोली-पूर्व बैठक की तिथि	16.06.2022	1500 बजे
4	बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	27.06.2022	1700 बजे
5	तकनीकी बोली खोलने की तिथि	29.06.2022	1430 बजे
6	वित्तीय बोली खोलने की तिथि और दस्तावेजों की आगामी जांच के अध्यधीन परिणामों की घोषणा	निर्धारित किया जाना है	निर्धारित किया जाना है

प्रस्ताव के अनुरोध के लिए समय-सीमा

अनुमानित बोली मूल्यः 3.00 करोड़ रुपए

बोली की वैधता- 06 माह

टिप्पणी: (i) उपर्युक्त समय-सीमा अनंतिम हैं। मंत्रालय का प्रशासनिक आकस्मिकताओं के आधार पर समय सीमाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित है। मंत्रालय द्वारा समय-सीमा में तदनुसार किए गए किसी भी परिवर्तन को सीपीपी पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

(ii) यदि इस प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) के हिंदी एवं अंग्रेजी संस्करण के किसी भी खंड में कोई विरोधाभास अथवा अस्पष्टता पायी जाती है तो आरएफपी का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

1. प्रस्तावना

विदेश मंत्रालय भारतीय मूल के युवाओं (18 से 30 वर्ष की आयु) को भारत के विभिन्न पहलुओं, इसकी सांस्कृतिक विरासत, इतिहास, अर्थव्यवस्था और विभिन्न क्षेत्रों में देश द्वारा की गई प्रगति से परिचित कराने के लिए भारत को जानो कार्यक्रम (केआईपी) आयोजित करता है। केआईपी भारतीय मूल के छात्रों और युवा व्यवसायियों को भारत की यात्रा करने और समकालीन भारत के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। राज्य सरकारों के साथ भागीदारी और समन्वय के साथ प्रतिवर्ष केआईपी का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक केआईपी 21 दिनों की अवधि का है। भारत को जानो कार्यक्रम, के मुख्य तत्व भारत की राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, समाज, सांस्कृतिक विरासत और विभिन्न क्षेत्रों में विकास आदि का अभिज्ञान है; विश्वविद्यालय/कॉलेज में छात्रों के साथ चर्चा; ऐतिहासिक महत्व के स्थानों की यात्रा; सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी; औद्योगिक स्थलों की यात्रा; एक गांव की यात्रा; गैर-लाभकारी संगठनों के साथ चर्चा और भारत में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकें करना है।

2. उद्देश्य

इस आरएफपी का उद्देश्य सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करने के लिए एक उचित योग्य और पर्याप्त रूप से अनुभवी ट्रैवल कंपनी का चयन करना है, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित किए जाने वाले, भारत को जानो कार्यक्रमों, (केआईपी) के आयोजन के लिए विदेश मंत्रालय के प्रवासी मामले प्रभाग-II (ओआईए-II) के साथ अनुबंध करेगी।

3. कार्य-क्षेत्र

कंपनी, संयुक्त सचिव (ओआईए-2) विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली के निर्देशों और समग्र पर्यवेक्षण के अंतर्गत काम करेगी। मंत्रालय की योजना वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान **छह (6) भारत को जानो कार्यक्रम** आयोजित करने की है, जिनमें प्रत्येक केआईपी में अधिकतम 40 प्रतिभागी होगें। 21 दिनों की भारत यात्रा के दौरान प्रतिभागी दिल्ली और आगरा जाएंगे। वे एक अथवा दो भागीदार राज्य (राज्यों) से परिचित होने के लिए 10 दिनों का दौरा करेंगे। कंपनी/सेवा प्रदाता यात्रा के विभिन्न कारकों में, केआईपी के आयोजन से संबंधित निम्नलिखित कार्य करेगा:

- 3.1 होटल आवास (होटल की 4 स्टार या उससे ऊपर की श्रेणी में द्विभागिता आधार पर), स्थानीय परिवहन (वोल्वो एसी कोच), भारत में रहने के दौरान केआईपी प्रतिभागियों के लिए भोजन और आवास की व्यवस्था करना; भारत से आगमन और प्रस्थान के दौरान हवाई अड्डे-होटल-हवाई अड्डे का स्थानांतरण करना।
- 3.2 प्रतिभागियों की भारत में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक और पर्यटक महत्व के स्थानों की यात्रा की व्यवस्था करना।
- 3.3 मंत्रालय के निर्देशानुसार राज्य के नेताओं के साथ प्रतिभागियों की बैठक सुकर करना।
- 3.4 एक या दो दिनों के लिए किसी गांव या ग्रामीण इलाकों की यात्रा का आयोजन करना।
- 3.5 दिल्ली/भागीदार राज्य/यों के प्रमुख विश्वविद्यालयों/संगठन में अंत:संवाद सत्रों की व्यवस्था करना।
- 3.6 भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रमों की व्यवस्था करना।
- 3.7 केआईपी प्रतिभागियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और आवश्यकतानुसार चिकित्सा देखभाल प्रदान करें। सेवा प्रदाता तत्काल चिकित्सा आवश्यकताओं से निपटने के लिए अस्पतालों के पैनल का चिन्हित करेगा।
- 3.8 केआईपी के दौरान, केआईपी प्रतिभागियों की सुरक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य के संबंध में किसी भी अप्रिय घटना की जानकारी विदेश मंत्रालय को तत्काल देना।
- 3.9 कार्यक्रम के प्रमाण-पत्रों के वितरण के लिए समापन सत्र की व्यवस्था करना।
- 3.10 राज्य की यात्रा के सभी पहलुओं को सुगम और व्यवस्थित करने के लिए राज्य सरकार के साथ समन्वय स्थापित करना।

4. पात्रता मानदंड

- 4.1 बोलीदाता कंपनी पंजीकृत कंपनी होनी चाहिए जिसकी यात्रा, होटल और स्थानीय लॉजिस्टिक व्यवस्था करने में विशेषज्ञता हो।
- 4.2 बोलीदाता के नाम में पैन, टिन, टैन, वैट, सेवा कर नंबर आदि जैसे उपयुक्त लाइसेंस होने चाहिए।
- 4.3 बोलीदाता दिल्ली में स्थित होना चाहिए या दिल्ली में एक शाखा कार्यालय होना चाहिए।
- 4.4 पिछले तीन वर्षों में बोलीदाता का कुल कारोबार कम से कम 01 करोड़ रुपये होना चाहिए।
- 4.5 बोलीदाता को पिछले तीन वर्षों में कोई नुकसान नहीं हुआ हो।

- 4.6 बोलीदाता कंपनी को पर्यटन या व्यापार के लिए भारत आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए यात्रा, लॉजिस्टिक सहायता आदि की व्यवस्था करने का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
- 4.7 बोलीदाता, को भारत सरकार के किसी भी विभाग/मंत्रालय/संगठन द्वारा काली सूची में डाला नहीं होना चाहिए।
- 4.8 बोलीदाता, के विरुद्ध किसी भी न्यायालय/फोरम में कोई आपराधिक कार्यवाही लंबित/जारी नहीं होनी चाहिए।
- 4.9 बोलीदाता को किसी भी संगठन/सरकारी विभागों द्वारा चूक के लिए किसी परियोजना से निष्कासित/समाप्त नहीं किया गया होना चाहिए।
- 4.10 आवश्यक पड़ने पर बोलीदाता कंपनी को छह से अधिक केआईपी का कार्य संभालने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करना होगा।
- 4.11 बोलीदाता के नाम पर कार्य को उप-संविदा या सबलेटिंग करने की अनुमति नहीं होगी। इस उद्देश्य के लिए केवल उसी एजेंसी पर विचार किया जाएगा जिसके पास कार्य आदेश है और वह प्रत्यक्ष रूप से उस अनुबंध को निष्पादित करेगी। साथ ही, एक संयुक्त उद्यम (जेवी) या कंसोर्टियम के गठन के माध्यम से अलग से निगमित विक्रेताओं द्वारा प्रस्तुत की गई बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- टिप्पणी: एमएसएमई/स्टार्टअप/एसएचजी को टर्नओवर और अनुभव के संबंध में रियायत/छूट मौजूदा सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार दी जाएगी।

5. तकनीकी और वित्तीय बोली

अनुवर्ती पैराग्राफों में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार संविदा की अवधि तकनीकी बोलियों और वित्तीय बोलियों से युक्त द्वि-स्तरीय निविदा प्रक्रिया के आधार पर होगी। योग्य बोलीदाता कंपनियों को आरएफपी के अनुसार केआईपी आयोजित करने हेतु विस्तृत तकनीकी और वित्तीय बोलियां जमा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। बोली दस्तावेजों के नियम और शर्तें निम्नानुसार हैं:

5.1 तकनीकी बोली दस्तावेज़

- 5.1.1 निगमन प्रमाण-पत्र।
- 5.1.2 संस्था के अंतर्नियम एवं ज्ञापन।
- 5.1.3 लिमिटेड कंपनी के मामले में हितधारकों का करार।
- 5.1.4 प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को संगठन की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत करने वाला विधिवत हस्ताक्षरित बोर्ड संकल्प।
- 5.1.5 कंपनी/संगठन पंजीकरण प्रमाण पत्र, वैध सेवा कर पंजीकरण प्रमाण पत्र और आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या (पैन) (प्रत्येक पंजीकरण की प्रति प्रदान की जानी चाहिए)।
- 5.1.6 कंपनी की पिछले तीन वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट की सत्यापित प्रतियां।
- 5.1.7 पिछले तीन वर्षों में बोलीदाता द्वारा आयोजित किए गए समान कार्यक्रमों और प्रबंधित विदेशी नागरिकों की संख्या को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज।
- 5.1.8 कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज।

5.1.9 बोलीदाता को एक वचन-पत्र देना होगा कि उसे भारत में किसी भी सरकारी विभाग/एजेंसी द्वारा ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है और उसी तरह उद्धृत की जा रही सेवाओं को अस्वीकार नहीं किया गया है।

5.1.10 पर्यटन या व्यवसाय के लिए भारत आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए यात्रा, संभारतंत्रीय सहायता आदि की व्यवस्था के संबंध में कम से कम 3 वर्ष के अनुभव से संबंधित दस्तावेज़।

5.1.11 पिछले 3 वर्षों, अर्थात 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए उनकी फर्म / कंपनी की बैलेंस शीट तथा लाभ और हानि संबंधी खाते।

5.1.12 पिछले 3 वर्षों अर्थात 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के आयकर रिटर्न की प्रतियां।

5.1.13 संगठन की प्रोफाइल।

नोट: मंत्रालय के पास बोलीदाताओं से अतिरिक्त जानकारी मांगने का अधिकार भी सुरक्षित रहेगा।

5.2 वित्तीय बोली दस्तावेज़।

5.2.1 बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक सेवाओं के संबंध में अपनी दरें वित्तीय बोली संबंधी दस्तावेज़ (बीओक्यू फाइल) में उद्धृत करें।

5.2.2 सहभागी राज्य (राज्यों) में आवास, भोजन, परिवहन, गाइड जैसी व्यवस्थाओं का दायित्व संबंधित राज्य सरकार का होगा। यदि उपरोक्त व्यवस्थाएं सहभागी राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाती हैं तो इवेंट मैनेजर द्वारा ये व्यवस्थाएं उद्धृत दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी जो मंत्रालय द्वारा इवेंट मैनेजर को देय होंगी। यह दर सभी राज्यों में लागू होगी।

5.2.3 प्रोटोकॉल / राज्य सरकार के एलओ / सुरक्षा एस्कोर्ट, जहां आवश्यक हो, राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे।

5.2.4 40 प्रतिभागियों के लिए, दिल्ली से सहभागी राज्य (राज्यों) तक तथा दिल्ली वापसी के लिए हवाई/ट्रेन/सड़क मार्ग से यात्रा के व्यय का भुगतान वास्तविक व्यय के अनुसार किया जाएगा। हवाई टिकट की व्यवस्था, यदि आवश्यक हो, इस संबंध में वर्तमान सरकारी नियमों के अनुसार, केवल सरकार द्वारा अनुमोदित एजेंसियों, अर्थात मैसर्स बामर एंड लॉरी, मैसर्स अशोका टूर्स एंड ट्रैवल्स और मेसर्स आईआरसीटीसी के माध्यम से की जाएगी।

5.2.5 आकस्मिक शुल्क में प्रतिभागियों के लिए फोटो बैज, स्मारकों के लिए प्रवेश टिकट, ताजमहल के लिए ई-बस सेवा, बीमार प्रतिभागियों को अस्पताल ले जाने के लिए टैक्सी शुल्क / बीमार प्रतिभागियों के लिए दोपहर का भोजन और कोई भी अन्य आकस्मिक व्यय आदि शामिल है जिसका भुगतान वास्तविक व्यय के आधार पर किया जाएगा।

5.2.6 यदि प्रत्येक के आईपी समूह में प्रतिभागियों की संख्या 40 से कम है, तो वित्तीय बोली संबंधी दस्तावेज़ (बीओक्यू फाइल) में उल्लिखित कार्यक्रम प्रदाता शुल्क को आनुपातिक रूप से कम कर दिया जाएगा।

5.2.7 इस आरएफपी में निर्धारित सेवाओं के अतिरिक्त, अन्य सेवाओं के लिए भुगतान पक्षकारों की आपसी सहमति के अनुसार किया जाएगा।

6. बयाना जमा राशि /बोली प्रतिभूति

बोलीदाताओं को 8,00,000 रुपए (बयाना जमा राशि) की बोली प्रतिभूति जमा करनी होगी, जिसके बिना 'वित्तीय बोली' नहीं खोली जाएगी। बोली प्रतिभूति, भुगतान और लेखा अधिकारी (पीएओ), विदेश मंत्रालय, के पक्ष में अकाउंट पेयी डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा की जाएगी, जो नई दिल्ली में देय होगी। बोली प्रतिभूति को किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से स्वीकार्य रूप में जारी इंश्योरेंस श्योरिटी बांड, अकाउंट पेयी डिमांड ड्राफ्ट, सावधि जमा रसीद, अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी, जो पीएओ, विदेश मंत्रालय के पक्ष में हो, के रूप में भी स्वीकार किया जाएगा। असफल बोलीदाताओं की बोली प्रतिभूति को तकनीकी मूल्यांकन रिपोर्ट को अंतिम रूप दिए जाने के 30 दिनों के भीतर वापस कर दिया जाएगा। मौजूदा सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार एमएसएमई/स्टार्टअप/एसएचजी को ईएमडी जमा करने में छूट/रियायत दी जाएगी।

7. बोलियां जमा करना।

7.1 प्रस्तावों/बोलियों को केंद्रीय सार्वजनिक खरीद (सीपीपी) पोर्टल https://eprocure.gov.in/eprocure/app पर ऑनलाइन जमा किया जाएगा। केवल ऑनलाइन बोलियां स्वीकार की जाती हैं।

7.2 इस संबंध में दी गई कोई भी गलत/झूठी जानकारी संभावित इवेंट मैनेजर के दावे/पात्रता को रद्द करने का कारण बन सकती है।

7.3 बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि 27.06.2022 है।

8. बोली-पूर्व बैठक

सभी संभावित बोलीदाताओं के लिए निविदा दस्तावेजों से संबंधित मुद्दों को स्पष्ट करने के लिए एक बोली-पूर्व बैठक का आयोजन दिनांक 16.06.2022 को अपराह्न 3.00 बजे सम्मेलन कक्ष, 9वीं मंजिल, अकबर भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में किया जाएगा। मंत्रालय का प्रशासनिक आकस्मिकताओं के आधार पर समय-सीमा को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित है जिसकी सूचना सीपीपी पोर्टल पर दी जाएगी।

9. बोली खोलना

बोलियां, इस संबंध में गठित निविदा/चयन समिति के सदस्यों और बोलीदाता या उनके अधिकृत प्रतिनिधि, जो बोली खुलने में भाग लेना चाहते हैं, की उपस्थिति में मंत्रालय परिसर में खोली जाएंगी। बोलीदाता कंपनी के लेटर हेड पर बोलीदाता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्राधिकृत-पत्र धारक प्राधिकृत प्रतिनिधि को बोली में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी। तकनीकी और वित्तीय बोली दिनांक 29.06.2022 को अपराह 2.30 बजे और परवर्ती तारीख 04.07.2022 को अपराह2.30बजे सम्मलेन कक्ष, 9वीं मंजिल, अकबर भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021 में खोली जाएगी। यदि निविदा खोलने की उपरोक्त तिथियों को अप्रत्याशित कारणों से अवकाश घोषित किया जाता है तो निविदा अगले कार्य दिवस पर उसी समय खोली जाएगी।

10. बोलियों का मूल्यांकन और संविदा प्रदान करना

10.1 तकनीकी बोली का मूल्यांकन

एक विधिवत गठित निविदा समिति बोलीदाताओं के पात्रता मानदंडों का मूल्यांकन करेगी। सर्वप्रथम पात्रता मानदंडों को पूरा करने और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए तकनीकी बोलियों की जांच की जाएगी। मूल्यांकन, बोलीदाता द्वारा पूर्व-अर्हता /मूल्यांकन/चयन मानदंडों के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों पर आधारित होगा।

प्रत्येक प्रतिक्रियात्मक प्रस्ताव का मूल्यांकन निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार अधिकतम 100 अंकों पर किया जाएगा:

एजेंसी की प्रोफाइल (अधिकतम अंक 100):

क्र.सं.	प्रत्येक मूल्यांकन मानदंड का विवरण	अंक
(i)	समान प्रकृति के काम में पिछला अनुभव;	30
	10 वर्ष से अधिक का अनुभव रखने वाले बोलीदाता– 30 अंक	
	06 से 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले बोलीदाता– 25 अंक	
	03 से 05वर्ष का अनुभव रखने वाले बोलीदाता– 22.5 अंक	
(ii)	कुल कारोबार;	30
	5 करोड़ रूपए से अधिक के कारोबार वाले बोलीदाता- 30 अंक	
	3 से 5 करोड़ रूपए के बीच कारोबार वाले बोलीदाता– 25 अंक	
	50 लाख रूपए या उससे अधिक, परन्तु 3 करोड़ रूपए से कम के बीच कारोबार वाले बोलीदाता- 22.5 अंक	
(iii)	कंपनी के पे-रोल पर कार्यरत कर्मचारियों की संख्या;	20
	10 से 15 कर्मचारी के लिए 15 अंक	
	16 से 20 कर्मचारी के लिए 18 अंक	
	20 से अधिक कर्मचारी के लिए 20 अंक	
(iv)	विगत तीन वर्षों में 50 लाख रूपए तक के आयोजित कार्यक्रमों की संख्या	20
	विगत 3 वर्षो में 40 लाख रूपए तक आयोजित 3 से 5 कार्यक्रमों के लिए: (15 अंक)	
	विगत 3 वर्षो में 40 लाख रूपए तक आयोजित 6 से 8 कार्यक्रमों के लिएः (18 अंक)	
	विगत 3 वर्षो में 40 लाख रूपए तक आयोजित 9 या इससे अधिक कार्यक्रमों के लिएः (20अंक)	

वित्तीय बोली खोलने के लिए अर्हता प्राप्त हेतु न्यूनतम 75 अंकों की आवश्यकता होगी।

यदि प्रस्ताव आरएफपी के महत्वपूर्ण पहलुओं के अनुरूप नहीं है तो प्रस्ताव को इसी स्तर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

10.2 वित्तीय बोलियों का मूल्यांकन

केवल उन्हीं बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां खोली जाएंगी जो तकनीकी मानदंडों को पूरा करते हैं। तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियों का मूल्यांकन किया जाएगा और निम्नतम दर उद्घृत करने वाले बोलीदाता को ठेका दिया जाएगा।

10.3 निम्नतम दर उद्धरण के आधार पर संविदा प्रदान की जाएगी। बीओक्यू के सभी मदों के कुल आधार पर एल1 के संबंध में निर्णय किया जाएगा।

10.4 यदि कोई फर्म शून्य प्रभार उद्धृत करती है/इस संबंध में विचार करती है, तो बोली को अनुत्तरदायी माना जाएगा और उस पर विचार नहीं किया जाएगा। 10.5 यदि दो या दो से अधिक बोलीदाताओं ने समान दर की पेशकश की है, तो तकनीकी स्तर पर उच्च अंक प्राप्त करने वाले बोलीदाता को संविदा प्रदान की जाएगी।

10.6 इस अवधि के दौरान, उद्धृत दरों में वृद्धि के किसी भी अनुरोध को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

11 संविदा अवधि

- 11.1 सफल बोलीदाता विदेश मंत्रालय के प्रवासी भारतीय मामलें-II प्रभाग के साथ एक करार संपादित करेगा (संविदा-1 के रूप में करार का मसौदा संलन है)। संविदा की अवधि, संविदा प्रदान करने की तारीख से 12 माह के लिए मान्य होगी और इसे उन्हीं दरों, नियम और शर्तों पर और दोनों पक्षों की परस्पर सहमति से आगे 12 माह तक बढ़ाया जा सकता है।
- 11.2 यदि कंपनी/कार्यक्रम प्रबंधक की सेवाएं केआईपी प्रबंधन में शिथिलता और केआईपी प्रतिभागियों से प्राप्त प्रतिक्रिया के कारण असंतोषजनक पाई जाने पर उनकी सेवाओं को, बिना किसी अग्रिम सूचना के, तत्काल समाप्त किया जा सकता है। विदेश मंत्रालय का कार्यक्रम प्रबंधक की सेवाओं का मूल्यांकन करने का अधिकार सुरक्षित है।
- 11.3 यदि समीक्षा प्रक्रिया के दौरान मंत्रालय द्वारा यह पाया जाता है कि सेवा प्रदाता/कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा प्रदत्त सेवाएं आरएफपी के अनुसार सेवा प्रदाता/ कार्यक्रम प्रबंधक की अपेक्षित सेवाओं की गुणवत्ता और दक्षता के मानकों को पूरा नहीं करती तो मंत्रालय को संविदा समाप्त करने का अधिकार है।

12. कार्य निष्पादन सुरक्षा

सफल बोलीदाता को संविदा प्रदान किए जाने पर कार्य निष्पादन सुरक्षा भी प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता होगी, चाहे उसकी पंजीकरण स्थिति आदि कुछ भी हो। कार्य निष्पादन सुरक्षा संविदा मूल्य का लगभग 3% होगी। कार्य निष्पादन सुरक्षा, वेतन और लेखा अधिकारी, विदेश मंत्रालय, अकबर भवन, नई दिल्ली के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से लेखे में देय डिमांड ड्राफ्ट, सावधि जमा रसीद, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से स्वीकार्य रूप से बैंक गारंटी के रूप में प्रस्तुत की जा सकती है। कार्य निष्पादन सुरक्षा वारंटी दायित्वों सहित सफल बोलीदाता के सभी संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने की तिथि के बाद 60 दिनों की अवधि के लिए वैध रहनी चाहिए।

13. भुगतान का तरीका

- 13.1 आदेश के निष्पादन और विदेश मंत्रालय की संतुष्टि में पाई गई सेवाओं की गुणवत्ता के बाद ही बिल/चालान के विरुद्ध भुगतान किया जाएगा।
- 13.2 भुगतान एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से या एकाउंट पेयी चेक के माध्यम से आपूर्तिकर्ता को सीधे किया जाएगा। भुगतान के अन्य तरीके के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। बोलीदाता को, यथालागू, अनुपातिक आधार पर भुगतान किया जाएगा।
- 13.3 किसी भी स्थिति में अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।

14. दण्ड खंड और अप्रत्याशित घटना

14.1 अनुबंधित दर पर, कार्य के दायरे के अनुसार, सभी प्रदेयों की आपूर्ति करने के लिए सफल बोलीदाता द्वारा मना करना या असमर्थता दिखाना या विलंब करना या कोई गलत वक्तव्य देने के परिणामस्वरूप संविदा को समाप्त किया जा सकता है और ईएमडी/पीएस जब्त की जा सकती है/बैंक गारंटी को भुनाया जा सकता है और भावी निविदाओं में भाग लेने हेतु बोलीदाता को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। कार्य पूरा न करने/ असंतोषजनक कार्य करने के लिए शास्ति ऐसे कार्य की संविदा के 10% से अधिक नहीं होगी और लगाई गई शास्ति की कुल लागत, कार्य निष्पादन सुरक्षा को जब्त करने के अतिरिक्त, संविदा लागत के 20% से अधिक नहीं।

- 14.2 मंत्रालय इस निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट दंड और प्रदेय आवश्यकताओं को शिथिल करने पर विचार कर सकता है, यदि और संविदा के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने में निष्पादन में विलंब या विफलता किसी अप्रत्याशित घटना के कारण है।
- 14.3 अप्रत्याशित घटना को ऐसी घटना के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका अनुमान यथोचित रूप से नहीं लगाया जा सकता जैसेकि प्राकृतिक आपदाएं, राज्यों के कार्य, युद्धों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिणाम (घोषित या अघोषित), शत्रुता, राष्ट्रीय आपात स्थिति, नागरिक हलचल और सफल बोलीदाताओं के परिसर में पर हड़ताल आदि।

15. <u>भ्रष्ट या धोखाधड़ी प्रथाएं</u>

- 15.1 यह आशा की जाती है कि जो बोलीदाता इस निविदा के लिए बोली लगाना चाहते हैं, उनके नैतिकता के उच्चतम मानक हैं।
- 15.2 मंत्रालय बोली को अस्वीकार कर देगा यदि, यह निर्धारित करता है कि ठेके के लिए अनुशंसित बोलीदाता, इस संविदा के लिए प्रतिस्पर्धा करते समय भ्रष्ट या धोखाधड़ी प्रथाओं में संलिप्त था।
- 15.3 मंत्रालय किसी बोलीदाता को अनिश्चित काल के लिए या किसी घोषित अवधि के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है, यदि यह किसी भी समय यह निर्धारित करता है कि बोलीदाता संविदा के निष्पादन के दौरान भ्रष्ट और धोखाधड़ी प्रथाओं में संलिप्त था।

16 विवादों का निपटान और मध्यस्थता

- 16.1 प्रस्ताव के इस अनुरोध (आरएफपी) या उसके विषय या पक्षकारों के प्रतिनिधि अधिकारों, कर्तव्यों या दायित्व से उपजे सभी विवादों, मतभेदों और प्रश्नों को सर्वप्रथम परामर्श के माध्यम से सुलझाया जाएगा। यदि उठाए गए मुद्दे 30 दिनों के बाद भी अनसुलझे रहते हैं, तो कोई भी पक्ष मामले को मध्यस्थता के लिए भेज सकता है।
- 16.2 मध्यस्थता, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के अनुसार होगी। मध्यस्थ पक्षकारों की सहमति से, मध्यस्थता कार्यवाही का समय बढ़ाने का पात्र होगा।
- 16.3 प्रस्ताव के अनुरोध (आरएफपी) का कोई भाग लंबित मध्यस्थता कार्यवाही के आधार पर निलंबित नहीं किया जाएगा।
- 16.4 मध्यस्थ का निर्णय अंतिम और पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

17. शासी नियम

यह भारत के नियमों द्वारा अभिप्रेत और शासित होगा और पक्षों द्वारा किसी भी अंतरिम राहत के लिए दिल्ली न्यायालयों के अनन्य क्षेत्राधिकार में होगा।

18. सामान्य निबंधन और शर्तें

- 18.1 केवल बोली प्रस्तुत करने से, बोलीदाता संस्था का कोई भी अधिकार प्रदान नहीं होगा।
- 18.2 आरएफपी, आरएफपी के प्रकाशन की तारीख से 6 माह की अवधि के लिए मान्य रहेगा।
- 18.3 बोली प्रस्तुत करने वाली संस्थान का दायित्व होगा कि वह मंत्रालय द्वारा मांगी गई कोई और जानकारी प्रस्तुत करे।

- 18.4 अधूरे प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- 18.5 मंत्रालय अपने विवेक से बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा सकता है और इस प्रकार बढ़ाई गई तिथि सभी बोलीदाताओं के लिए बाध्यकारी होगी। यदि इस संबंध में कोई भी है, परिशिष्ट/शुद्धिपत्र विदेश मंत्रालय की वेबसाइट और केंद्रीय सार्वजनिक प्रापण (सीपीपी) पोर्टल पर प्रकाशित किया जाएगा।
- 18.6 मंत्रालय को, बिना कोई कारण बताए, किसी भी बोली को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और संबंधित पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।
- 18.7 सेवा प्रदाता को केआईपी के आयोजन में सेवाएं प्रदान करने में सीधे तौर पर शामिल होना चाहिए और इस जिम्मेदारी को किसी अन्य कंपनी या भागीदार को रॉयल्टी या कमीशन के आधार पर या ऐसी किसी अन्य व्यवस्था पर आउटसोर्स नहीं करना चाहिए। यदि यह देखा जाता है, तो मंत्रालय को संविदा को समाप्त करने, संविदा की समयपूर्व समाप्ति के लिए बैंक गारंटी को भुनाने और भविष्य में निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के विरुद्ध प्रतिबंध लगाने का अधिकार है।
- 18.8 कंपनी को इस कार्यक्रम को आयोजित करने और प्रतिभागियों के लिए होटल, भोजन, हवाई टिकट, रेल टिकट और परिवहन लागत आदि की अग्रिम बुकिंग करने की वित्तीय क्षमता होनी चाहिए।
- 18.9 यात्रा के लिए एस्कॉर्ट्स को (दिल्ली, दिल्ली से भागीदार राज्य और भागीदार राज्य में), भोजन, आवास और अन्य के संबंध में अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।
- 18.10 यदि स्थानीय आतिथ्य मेजबान राज्य द्वारा प्रदान किया जा रहा है तो ईएमसी से अपेक्षित सेवाओं को आनुपातिक रूप से कम कर दिया जाएगा।
- 18.11 मंत्रालय के लिए कार्यक्रमों और प्रतिभागियों की संख्या बाध्यकारी नहीं है और संविदा प्रदान करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के दौरान बोली लगाने वाले को न्यूनतम आदेश दिए जाने की कोई गारंटी नहीं होगी।
- 18.12 बोलियां केवल ई-प्रापण मॉडल (सीपीपीपी) के माध्यम से ऑनलाइन जमा की जानी चाहिए।

(मणिका जैन) अपर सचिव (ओआईए) ईमेल: <u>as.oia@mea.gov.in</u> टेलीफोन: 011-24676210

विदेश मंत्रालय और सहभागी के बीच करार

यह करार वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान मंत्रालय के भारत को जानिए कार्यक्रम (केआईपी) के संचालन के लिए विदेश मंत्रालय और <u>सहभागी</u> के बीच वर्ष 2022 के.....माह के.....वें दिन किया गया है।

भारत के राष्ट्रपति, सुश्री मणिका जैन, अपर सचिव (ओआईए-II), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, जिनका कार्यालय अकबर भवन, नई दिल्ली 110021 में है (जिनका इसके बाद **विदेश मंत्रालय** के रूप में उल्लेख किया गया है जब तक कि संदर्भ के विरुद्ध न हो और इस अभिव्यक्ति में उनके सभी आनुक्रमिक पदाधिकारी और समनुदेशिती शामिल होंगे) के माध्यम से प्रथम पक्षकार के रूप में;

तथा

सहभागी, एक उद्देश्यपरक प्रबंधन कंपनी, जिसका कार्यालय _____ भारत में है (जिसका इसके बाद _____ के रूप में उल्लेख किया गया है) और जब तक कि संदर्भ के विरुद्ध न हो इस अभिव्यक्ति में दूसरे पक्षकार के सभी उत्तराधिकारी, प्रशासक और अनुमति प्राप्त समनुदेशिती शामिल होंगे, जिनका इसके आगे संयुक्त रूप से पक्षकारों के रूप में उल्लेख किया गया है;

यत विदेश मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है कि भारत को जानिए कार्यक्रम, (जिसका यहां (केआईपी) के रूप में उल्लेख किया गया है, का एक इवेंट मैनेजर के माध्यम से संचालन किया जाए।

और यत <u>सहभागी</u> जो विदेशों में _____ कार्यालयों, दुनिया भर में _____ से अधिक संस्थागत भागीदारों और पूरे भारत में _____ कार्यालयों के साथ एक प्रमुख उद्योग संगठन है, ने यह अभिव्यक्त किया है कि उसके पास केआईपी को एक पेशेवर तरीके से आयोजित और संचालित करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा और क्षमता है;

और यत दोनों पक्षकार इस करार के संबंध में अपनी-अपनी संबंधित भूमिकाओं, कर्त्तव्यों और दायित्वों का लिखित दस्तावेज़ तैयार करने के इच्छुक हैं;

दोनों पक्षकार एतदद्वारा निम्नवत सहमत हुए हैं:

केआईपी के उद्देश्य. के आईपी का उद्देश्य

- (i) भारतीय मूल के युवाओं को भारत की संस्कृति, विरासत, इतिहास, अर्थव्यवस्था और विकास से परिचित कराना होगा।
- (ii) <u>सहभागी</u> यह सुनिश्चित करने के लिए सम्यक यल करेगा कि भारत को जानिए कार्यक्रम के लिए किया जाने वाला व्यय निविदा बोली के अनुसार हो।

1. निबंधन एवं शर्तें:

- 1.1 सहभागी, के आईपी के कामकाज को शुरू करने के लिए इस करार पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख से पूर्ण शक्ति, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व के साथ विदेश मंत्रालय के एक इवेंट मैनेजर और मेजबान संस्था के रूप में कार्य करेगा। <u>सहभागी</u> को इस करार के अध्यधीन ऐसे सभी विधिसम्मत कार्य एवं क्रियाकलाप निष्पादित करने के लिए एतद्दवारा पूरी तरह से अधिकृत किया जाता है जो निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए के आईपी का अंतरराष्ट्रीयकरण करने के उद्देश्य से आवश्यक एवं समीचीन समझे गए हों।
- 1.2 **<u>सहभागी</u>** यह सुनिश्चित करेगा कि विदेश मंत्रालय द्वारा साझे में दी जाने वाली प्रचालन लागत अनुमोदित बजट से अधिक न हो (प्रस्तुत की गई दर सूची के अनुसार)।
- 1.3 <u>सहभागी</u>, केआईपी को शुरू करने के लिए तैयार की गई व्यवस्थाओं के संबंध में नियमित आधार पर विदेश मंत्रालय को जानकारी प्रदान करेगा।
- 1.4 <u>सहभागी,</u> केआईपी के समस्त क्रियाकलापों के समन्वय के लिए उत्तरदायी होगा और विदेश मंत्रालय के लिए संपर्क का एकमात्र बिंदु होगा।
- 1.5 <u>सहभागी</u>, विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर विदेश स्थित कार्यालयों के माध्यम से और साथ ही विभिन्न चैनलों जैसे सोशल मीडिया आदि के द्वारा, जब भी आवश्यक हो, केआईपी का पर्याप्त प्रचार करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- 1.6 दोनों पक्षकारों की पारस्परिक लिखित सहमति से इस करार के कार्यक्षेत्रको बढ़ाया या घटाया जा सकता है।

2. करार की वैधता

2.1 यह करार इस पर हस्ताक्षर करने की तारीख से प्रभावी होगा और 31 मार्च 2022 तक मान्य होगा और उसके बाद इसे विदेश मंत्रालय के विवेकाधिकार द्वारा नवीकृत किया जा सकता है।

3. विदेश मंत्रालय का उत्तरदायित्व

- 3.1 विदेश मंत्रालय, यदि आवश्यक हो तो, सरकारी मंजूरी के लिए संबंधित प्राधिकरणों को आवश्यक पत्राचार द्वारा सहायता प्रदान करेगा।
- 3.2 विदेश मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत दर के बिलों का भुगतान उचित समय के भीतर किया जाएगा।
- 3.3 वर्ष 2021-22 के दौरान भारत को जानिए कार्यक्रम की समय सारणी विदेश मंत्रालय द्वारा (भारत को जानिए कार्यक्रम में प्रतिभागियों की सूची और उनके आगमन और प्रस्थान का कार्यक्रम) सहभागी को उपलब्ध कराई जाएगी।
- 4. सहभागी का उत्तरदायित्व

- 4.1 समग्र समन्वय और निविदा/दस्तावेज की शर्तों के अनुसार सम्मत तरीके से केआईपी प्रारंभ करना।
- 4.2 के आईपी के सुचारू और सफलतापूर्वक संचालन को सुनिश्चित करना।
- 4.3 विदेश मंत्रालय और राज्य सरकारों के बीच समन्वय कर्ता के रूप में कार्य करना।
- 4.4 नई दिल्ली और राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध न कराए जाने पर सहभागी राज्य में सुचारु यात्रा, प्रवास और केआईपी की अन्य संचालन व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- 4.5 उचित समय/निर्धारित समय के अंदर दर के अनुसार विदेश मंत्रालय को बिल जमा करना।
- 4.6 <u>सहभागी</u> आरएफपी (प्रस्ताव दस्तावेज़ के लिए अनुरोध) में दी गई अन्य निबंधन एवं शर्तों का पालन करेगा।
- 4.7 <u>सहभागी</u> विदेश मंत्रालय की सहमति के बिना किसी तीसरे पक्ष को करार के तहत दी गई जिम्मेदारियां नहीं सौंपेगा।
- 4.8 <u>सहभागी</u>, लागत में किफ़ायत बरतते हुए, यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य की गुणवत्ता में कमी न हो।

5. आचार संहिता

- 5.1 <u>सहभागी</u> केआईपी के संचालन के लिए कार्यक्रम प्रबंधक के रूप में रखा जाता है। केआईपी भारत सरकार की एक पहल है और इसे केवल विदेश मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। <u>सहभागी</u> निम्नलिखित कार्य करेगा:
 - (i) के आईपी की सकारात्मक छवि को बढ़ावा देने के लिए अपनी ओर से सर्वोत्तम प्रयास करेगा।
 - (ii) ऐसी किसी भी प्रकार की प्रचार गतिविधियों में शामिल होने से बचेगा जिन्हें अनुचित कहा जा सकता है और/या संबंधित एजेंसियों के लिए शर्मिंदगी का कारण बने।
- 5.2 के आईपी के संबंध में सभी कार्यकलापों में, <u>सहभागी</u> उचित दूरी के सिद्धांत का पालन करेगा।

6. वित्तीय निहितार्थ

- 6.1 मंत्रालय निविदा के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत बोली के सोपानी प्रभाव के अनुसार केआईपी में अपनी भूमिका के लिए सहभागी को सम्मत राशि का भुगतान (यथानुपात आधार पर) करेगा। यह एक (कास्केडिंग प्रभाव) होने के बजाय वास्तविक आधार पर सेवा प्रदान करने वाली सहभागी की किसी भी शाखा के लिए निर्धारित शुल्क के अनुसार होगा। निविदा के अनुसार)।
- 6.2 यह व्यवस्था कार्यक्रम प्रबंधक (इवेंट मैनेजर) वाली व्यवस्था जैसी होगी और इसमें लाभ कमाने वाली भावना के बजाय सहयोग की भावना से काम किया जाएगा।

7. बिलिंग और भुगतान

- 7.1 विदेश मंत्रालय दी गई दर के अनुसार सहभागी को भुगतान (यथानुपात आधार पर) करेगा। तथापि, सहभागी द्वारा व्यय विवरण के साथ प्रस्तुत बिलों की जांच के बाद ही भुगतान किया जाएगा।
- 7.2 केआईपी के संबंध में खर्च का लेखा-जोखा विदेश मंत्रालय द्वारा निर्धारित तरीके से पारदर्शितापूर्ण ढंग से रखा जाएगा।
- 7.3 <u>सहभागी</u> प्रतिभागियों के ठहरने, उनके हवाई यातायात आदि सहित घरेलू परिवहन सहित केआईपी संचालन के लिए सभी भाड़ा प्रभारों के भुगतान करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। इस संबंध में विदेश मंत्रालय सहभागी के किसी भी प्रकार के कार्य या भूल-चूक के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- 7.4 यदि प्रत्येक के आईपी में प्रतिभागियों की संख्या 40 से कम रहती है तो वित्तीय बोली में इंगित प्रबंधन करने वाले/कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता का शुल्क और लागू कर आनुपातिक रूप से घटा दिया जाएगा।

8. संविदा का निरसन

- 8.1 सहभागी की ओर से कर्तव्यों के निष्पादन में विफलता या संविदा के समय से पूर्व निरसन या उल्लंघन के मामले में प्रत्येक क्षति या परिणामी नुकसान के लिए सहभागी जिम्मेदार होगा और वसूली के अन्य तरीकों के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के वह क्षति विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से पक्षकार से वसूल की जाएगी।
- 8.2 विदेश मंत्रालय या सहभागी इस करार को किसी भी समय लिखित में 30 दिनों की पूर्व नोटिस देकर समाप्त कर सकता है। हालांकि, सभी चालू परियोजनाएं करार के निरसन के बाद भी पूरी की जाएंगी और सहभागी को विदेश मंत्रालय द्वारा निविदा दस्तावेज़ की शर्तों के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

9. अभ्यावेदन और वारंटी

प्रत्येक पक्षकार के इस अभ्यावेदन के आधार पर इस करार को निष्पादित किया जा रहा है ताकि -

- (i) उसकी ओर से इस करार को निष्पादित करने वाले व्यक्तियों को ऐसा करने का स्पष्ट अधिकार है,
 और ऐसा करते हुए वे पक्षकार को इसका हिस्सा बना देते हैं।
- (ii) इस करार का निष्पादन कानून, चार्टर, विनियमन या पक्षकार के किसी अन्य शासी प्राधिकार के किसी भी उपबंध का उल्लंघन नहीं करता है; और
- (iii) इस करार के निष्पादन को सभी आवश्यक निगमित कार्रवाई द्वारा विधिवत अधिकृत किया गया है और यह करार पक्षकारों का मान्य और बाध्यकारी दायित्व है,जो इसकी शर्तों के अनुसार प्रवर्तनीय है।

10. कार्य निष्पादन प्रतिभूति

10.1 संविदा प्राप्त करने वाले सफल बोलीदाता द्वारा उसकी पंजीकरण स्थिति आदि पर विचार किए बिना निविदा के साथ कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि जमा की जाएगी। कार्य निष्पादन प्रतिभूति रु. -------- (संविदा मूल्य का लगभग 3%) होगी। कार्य निष्पादन प्रतिभूति किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से खाता में देय/डिमांड ड्राफ्ट, सावधि जमा (एफडी) किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से स्वीकार्य रूप मेंं बैंक गारंटी के रूप में प्रस्तुत की जा सकती है जो वेतन और लेखा अधिकारी, विदेश मंत्रालय, अकबर भवन, नई दिल्ली के पक्ष में देय होगी। कार्य निष्पादन प्रतिभूति वारंटी दायित्वों सहित सफल बोलीदाता के सभी संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने की तारीख से आगे 60 दिनों की अवधि के लिए वैध होनी चाहिए। कार्य निष्पादन प्रतिभूति प्राप्त होने पर सफल बोलीदाता को बोली प्रतिभूति लौटा दी जाएगी।

- 10.2 यदि के आईपी प्रबंधन में ढिलाई और के आईपी भागीदारों से प्राप्त फीडबैक के कारण कार्यक्रम प्रबंधक की सेवाएं असंतोषजनक पाई जाती हैं तो उनकी सेवाएं बिना किसी अग्रिम सूचना के तुरंत निलंबित की जा सकती हैं। विदेश मंत्रालय को कार्यक्रम प्रबंधक की सेवाओं का मूल्यांकन करने का अधिकार है।
- 10.3 यदि समीक्षा प्रक्रिया के दौरान, मंत्रालय यह पाता है कि सेवा प्रदाता/कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा प्रदान की गई सेवाएं आरएफपी के अनुसार सेवा प्रदाता/कार्यक्रम प्रबंधक से अपेक्षित सेवाओं की गुणवत्ता और दक्षता के मानकों को पूरा नहीं करती हैं तो मंत्रालय को संविदा समाप्त करने का अधिकार है।

11. **नोटिस**

किसी भी पक्षकार द्वारा लिखित में दिए जाने वाले सभी नोटिस व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा संबंधित पक्षकार के नीचे दिए गए पते पर भेजे जाएंगे:-

```
अनुभाग अधिकारी (प्रवासी भारतीय मामले-II)
कमरा सं. 1025
विदेश मंत्रालय
अकबर भवन,
नई दिल्ली - 110021
```

श्री/सुश्री, -----पद <u>सहभागी</u>

या किसी ऐसे अन्य पते पर जो कोई भी पक्षकार किसी भी समय या समय-समय पर इसके तहत नोटिस भेजने के प्रयोजन से लिखित में दूसरे पक्षकार को भेजेगा।

12. पृथकरणीयता

इस करार के प्रत्येक प्रावधान दूसरे प्रावधानों से पृथकरणीय एवं भिन्न है और यदि किसी भी समय एक या एक से अधिक प्रावधान अमान्य, अवैध या अप्रवर्तनीय हो जाते हैं तो इससे इस संविदा के शेष प्रावधानों की अधिमान्यता, वैधता, और प्रवर्तनीयता किसी भी प्रकार से प्रभावित या भंग नहीं होगी।

13. शास्ति

13.1 सफल बोलीदाता द्वारा संविदागत दरों पर कार्य के दायरे के अनुसार प्रदेय सभी वस्तुओं की आपूर्ति से इंकार करने अथवा असमर्थता जताने अथवा विलंब करने अथवा कोई भी गलत वक्तव्य दिए जाने पर संविदा समाप्त की जा सकती है तथा ईएमडी/पीएस जब्त की जा सकती है/ बैंक गारंटी को रद्द किया जा सकता है और साथ ही उसे भावी निविदाओं में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। मानक कार्य या समय-सीमा का पालन करने में किसी भी प्रकार के विलंब होने पर, जुर्माना विदेश मंत्रालय के ओआईए-II प्रभाग द्वारा अपनी संतुष्टि के अनुसार स्वयं निर्धारित किया जाएगा।

13.2 विदेश मंत्रालय इस निविदा दस्तावेज़ में यथा-विनिर्दिष्ट जुर्माने और वितरण आवश्यकताओं में छूट देने पर विचार कर सकता है यदि इस संविदा के तहत निष्पादन में विलंब अथवा अपने दायित्वों को निभाने में विफलता अप्रत्याशित अपरिहार्य परिस्थितियों का परिणाम हो।

14. अपरिहार्य परिस्थितियाँ

14.1 युद्ध, आक्रमण, क्रान्ति, दंगे, तालाबंदी, हड़ताल, सरकारी कृत्यों अथवा विधायिका अथवा अन्य प्राधिकरणों द्वारा कार्य को बंद कराया जाना, दैवीय घटना जिसका प्रभाव पाँच दिनों से अधिक के लिए हो और जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इस करार में निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर परियोजना को पूरा होने से रोकता है, उसे अपरिहार्य परिस्थितियाँ माना जाएगा। <u>सहभागी</u> को बिना किसी वित्तीय प्रभाव के अपरिहार्य परिस्थितियाँ माना जाएगा। <u>सहभागी</u> को बिना किसी वित्तीय प्रभाव के अपरिहार्य परिस्थितियों द्वारा हुए विलंब को पूरा करने के लिए आवश्यक समय-सीमा विस्तार प्रदान किया जाएगा अथवा विदेश मंत्रालय द्वारा परिशोधित दिशानिर्देश अथवा अनुदेश जारी किए जाएंगे।

15. कोई साझेदारी नहीं

इस करार में इवेंट मेनेजमेंट शब्द का उपयोग एक सामान्य उद्देश्य के लिए इसके सामान्य अर्थ में किया गया है न कि इसके शाब्दिक अथवा विधिक अर्थ में। इस करार में उल्लिखित किसी भी बात का अर्थ यह नहीं लगाया जाएगा कि पक्षकारों के बीच कोई साझेदारी बनाना अथवा एजेंसी गठित करना है और <u>सहभागी</u> से कोई आश्वासन, वचन अथवा – प्रसंविदा नहीं करेगा न ही विदेश मंत्रालय की ओर ऐसा करने के लिए अपने आप को सक्षम बताएगा और न ही इस करार के संबंध में किसी लेन-देन के लिए विदेश मंत्रालय के नाम का दुरुपयोग करेगा।

16. कोई रोजगार नहीं

इस करार में उल्लिखित किसी भी बात का आशय सहभागी को अथवा इस करार के लिए उसके द्वारा या उसके तहत नियोजित किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्वरूप के रोजगार का परामर्श करना अथवा रोजगार का आश्वासन देना नहीं होगा।

17. अधित्याग

किसी भी अवसर पर इस करार के प्रावधानों के निर्वहन पर जोर देने के लिए न तो किसी भी पक्षकार की विफलता और न ही किसी पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को दिए गए समय अथवा अन्य रियायत को इस तरह के भंजन का अधित्याग या किसी वैभिन्य को स्वीकार करने या इसके तहत किसी भी अधिकार का त्याग माना या समझा जाएगा। किसी भी पक्षकार द्वारा इस करार के किसी भी प्रावधान के अनुपालन या निष्पादन में दूसरे पक्षकार द्वारा की गई किसी चूक पर किए गए अधित्याग को किसी भी अन्य या उत्तरवर्ती चूक या इस करार के अन्य प्रावधानों अथवा इसके तहत दायित्वों या अधित्याग नहीं माना जाएगा और न ही यह किसी भी तरीके से इस करार की वैधता या प्रवर्तनीयता को प्रभावित करेगा। 18. कोई तृतीय पक्ष लाभार्थी नहीं - यह करार इसके पक्षकारों के लाभ के लिए है और कोई भी तृतीय पक्ष

इस करार का लाभार्थी नहीं है।

19. माध्यस्थम

यदि इस करार, इसके तहत किए जाने वाले भुगतान के निर्वचन से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसे आपसी परामर्श और बातचीत के माध्यम से सुलझाया जाएगा। यदि 30 दिनों की अवधि के भीतर सुलह के प्रयास का कोई परिणाम नहीं निकलता है, तो दोनों में से कोई भी पक्षकार एक ऐसे मध्यस्थ न्यायाधिकरण के जरिए विवाद को मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत कर सकता है जिसमें एक ही न्यायधीश हो। माध्यस्थम का कानूनी स्थान नई दिल्ली होगा और मध्यस्थता की कार्यवाही भी नई दिल्ली में होगी और इसे अंग्रेजी भाषा में किया जाएगा। माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 (या उसके किसी भी सांविधिक आशोधन) के प्रावधान और उसके तहत बनाए गए एवं लागू नियम, ऐसी कार्यवाही पर लागू होंगे। किसी भी विवाद के लंबित रहने के बावजूद, विदेश मंत्रालय को इस करार के तहत अपने सहभागी को इवेंट मैनेजर के रूप में उसके दायित्वों का

20. संशोधन

20.1 संविदा की अवधि के दौरान कोई भी संशोधन, आपसी विचार-विमर्श के बाद प्रभावी होगा और लिखित रूप में किया जाएगा।

20.2 किसी भी प्रकार के विवाद के मामले में, दिल्ली की अदालतों को उस पर न्याय निर्वाचन का अधिकार होगा।

20.3 इसके साक्ष्य में पक्षकारों के प्रतिनिधियों ने विधिवत प्राधिकृत होकर इसमें उल्लिखित तारीख और वर्ष को इस पर हस्ताक्षर किए हैं और अपनी मुहर लगाई है।

21. क्षतिपूर्ति

इवेंट मैनेजर के कृत्य अथवा चूक से विदेश मंत्रालय को हुए नुकसान के मामले में।

सुश्री मणिका जैन अपर सचिव (प्रवासी भारतीय मामले) विदेश मंत्रालय अकबर भवन, नई दिल्ली -110021

भारत के राष्ट्रपति की ओर से

(I) साक्षी

(II) साक्षी

की उपस्थिति में।

श्री _____ अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी **सहभागी की ओर से**

(I) साक्षी

(II) साक्षी

की उपस्थिति में।